# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 753/2024**

गिर्राज प्रसाद पाठक **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नेहरू नगर, आर.पी.ए. सड़क, जयपुर (राज.)।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 26.02.2024
**आदेश की दिनांक** : 14.03.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन के पद पर रसायन खंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मोबाइल फोरेसिंक यूनिट, उदयपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2022 की पालना में दिनांक 19.09.2022 को उदयपुर कार्यग्रहण किया और 4 माह की अल्पावधि में आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा जयपुर स्थानांतरित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को पुनः जयपुर से उदयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को बार–बार स्थानान्तरण किया जाना नियम

एवं नीति के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन के पद पर रसायन खंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मोबाइल फोरेसिंक यूनिट, उदयपुर किया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2022 की पालना में दिनांक 19.09.2022 को उदयपुर कार्यग्रहण किया और 4 माह की अल्पावधि में आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा जयपुर स्थानांतरित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को पुनः जयपुर से उदयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को बार–बार स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत स्थानान्तरण आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विशेष कार्य योजना के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जनहित में प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर ही स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें किसी निजी कार्मिक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in*

*violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**